राजकीय महाविद्यालय, नौगढ़, चंदौली

(Government Degree College, Naugarh, Chandauli)

Pin Code-232111

(Affiliated to Mahatma Gandhi Kashi Vidyapeeth Varanasi, U.P.)

Website-www.gdcnaugarh.ac.in

E-mail-principal233gdcnaugarh@rediffmail.com

सत्र 2020–21 मे आनलाईन प्रवेष प्रक्रिया से सम्बन्धित नियम व निर्देष :–

- सत्र 2020–21 मे बी0 ए0 प्रथम वर्ष, मे प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थियों को आवेदन करने हेतु निर्धारित तिथियों के अनुसार महाविद्यालय की वेवसाईट onlinegdcnaugarh.in अथवा gdcnaugarh.ac.in के माध्यम से Apply online पर क्लिक करके आवेदन फार्म पर जो सूचनाएं मांगी गई है उन्हे भरना होगा तथा अधिकतम 100KB का फोटो और हस्ताक्षर JPEG फार्मेट मे अपलोड करना होगा।
- फार्म भरने के पश्चात रजिस्ट्रेशन स्लिप मिलेगी उसके बाद Pay Now पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन शुल्क आनलाईन जमा करना होगा। रजिस्ट्रेशन शुल्क जमा करने के पश्चात अभ्यर्थी को पेमेंट स्लिप मिलेगी। रजिस्ट्रेशन शुल्क जमा न करने की स्थिति मे आवेदन पत्र अपूर्ण माना जायेगा।
- अभ्यर्थी अपना पूर्ण आवेदन पत्र प्रिट करने के लिये Print Application Form पर क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन नम्बर एवं जन्मतिथि भरकर फार्म का प्रिटआउट (हार्ड कापी) ले लेंगे।
- **बी0 ए0 प्रथम** वर्ष मे प्रवेश **हेतु अभ्यर्थियों की मेरिट सूची महाविद्यालय की उपरोक्त वेवसाईट पर प्रदर्षित एवं महाविद्यालय के सूचना पट्ट पर चस्पा की जाएगी।**
- **मेरिट सूची मे स्थान पाने वाले अभ्यर्थी निर्धारित तिथि व समय पर काउन्सिलिंग हेतु अपने प्रवेष आवेदन पत्र की हार्ड कापी (कालेज कापी) के साथ समस्त आवष्यक प्रमाण पत्रों,अंकपत्रों की स्वयं प्रमाणित छायाप्रतियॉ संलग्न करके, समस्त मूल प्रमाण पत्रों,अंकपत्रों के साथ महाविद्यालय मे प्रवेष समिति के समक्ष स्वयं उपस्थित होगे।** अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वे विद्यालयों से टी0सी0 एवं सी0सी0 की मूल प्रतियॉ समय से प्राप्त कर लें ताकि काउन्सिलिंग के समय प्रवेश समिति के समक्ष प्रस्तुत कर सकें। **टी0सी0 एवं सी0सी0 की मूल प्रतियो एवं अन्य वांछित प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियों के अभाव मे अथवा आवेदन पत्र अपूर्ण रहने की दषा में प्रवेष पर विचार नहीं किया जाएगा।**
- प्रवेश समिति द्वारा वरियता सूची से मिलान के पश्चात प्रवेशार्थी के मूल प्रमाण पत्रों की जॉच करने के उपरान्त प्रवेश की संस्तुति करने की दशा में वरियता सूची के अनुसार विषय आवंटित किये जायेगे। प्रवेश समिति द्वारा विषय आवंटित कर देने के पश्चात उसमें किसी भी प्रकार का संशोधन संभव नहीं होगा।
- **प्रवेष की संस्तुति /स्वीकृति के पष्चात अभ्यर्थी को सत्र 2020–21 की अपनी कक्षा की निर्धारित फीस आनलाईन जमा करनी होगी।**

- अभ्यर्थी के लिये यह अत्यन्त आवश्यक है कि वह मेरिट लिस्ट मे अपना नाम देखकर निर्धारित तिथि व समय पर काउन्सिलिंग हेतु महाविद्यालय में समस्त प्रमाण पत्रो के साथ प्रवेश समिति **के** समक्ष स्वयं उपस्थित हो तथा प्रवेश की संस्तुति हो जाने पर निर्धारित अवधि में अपनी फीस आनलाईन जमा कर दे। फीस जमा करने के उपरान्त ही प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण होगी। प्रत्येक छात्र–छात्रा जमा किये गये शुल्क की रसीद अपने पास सुरक्षित रखे जिसकी आवश्यकता भविष्य में छात्रवृत्ति आदि के फार्म भरने, परिचय पत्र प्राप्त करने मे पड़ती है।
- निर्धारित अवधि मे काउन्सिलिंग हेतु उपस्थित न होने अथवा निर्धारित फीस न जमा करने की स्थिति में प्रवेशाधिकार निरस्त होने पर मेरिट सूची के क्रमानुसार अगले अभ्यर्थी को अवसर दिया जायेगा।
- प्रत्येक अभ्यर्थी एवं अभिभावक के लिये यह आवश्यक है कि अद्यतन जानकारी के लिये महाविद्यालय की वेबसाईट एवं सूचनापट्ट पर दी जाने वाली सूचनाओं, निर्देशों,नियमों से भली–भांति अवगत रहे।
- **बी0ए0 द्वितीय** वर्ष एवं **बी0ए0 तृतीय** वर्ष के प्रवेश विश्वविद्यालय द्वारा अंकतालिका प्राप्त होने पर प्रारम्भ होंगे जिसकी सूचना महाविद्यालय की वेबसाईट एवं सूचनापट्ट पर दी जायेगी।अभ्यर्थी उपरोक्त तरीके से फार्म भरकर ,फार्म की हार्डकापी के साथ अंकपत्रों की छायाप्रति स्वयंप्रमाणित करके महाविद्यालय में प्रवेश समिति के समक्ष मूल अंकपत्रो के साथ निर्धारित तिथि एवं समय पर स्वयं उपस्थित होंगे तथा पवेश स्वीकृत होने पर आनलाईन फीस जमा करेंगे।
- शैक्षणिक कैलेण्डर 2020–21 के अनुसार शिक्षण कार्य प्रारंभ होने की तिथि से सम्बन्धित सूचना महाविद्यालय के सूचना पट्ट पर चस्पा कर दी जायेगी।
- स्नातक पाठ्यक्रम , सीट संख्या , तथा शुल्क विवरण :

सत्र 2020-21 में बी0ए0 प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु सामान्य नियम व निर्देश –

- महाविद्यालय में सत्र 2020-21 में प्रवेश हेतु अभ्यर्थियों को आनलाइन प्रवेश आवेदन करना अनिवार्य होगा ।

- महाविद्यालय में महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी के निर्धारित नियमानुसार बी0ए0 पाठ्यक्रम में अधोलिखित विषय़ लिया जा सकता है -
  1. हिन्दी
  2. संस्कृत
  3. अंग्रेजी
  4. इतिहास
  5. अर्थशास्त्र
  6. राजनीति विज्ञान
  7. समाजशास्त्र
- महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी के निर्धारित नियमानुसार राष्ट्रगौरव एवं पर्यावरणीय अध्ययन अनिवार्य विषय है।
- इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण होने के बाद 2 वर्ष से अधिक का अन्तराल होने पर प्रवेश सम्भव नहीं होगा। 1 या 2 वर्ष अन्तराल वाले अभ्यर्थी को नोटरी से सम्बन्धित वर्ष का शपथ पत्र बनवाकर प्रस्तुत करना आवश्यक है। जिसमें उल्लेख होगा कि मैंने किसी महाविद्यालय/ विश्वविद्यालय में प्रवेश नहीं लिया था। यदि किसी अभ्यर्थी का शपथ पत्र झूठा पाया गया तो उसके विरूद्ध कानूनू कार्यवाही की जाएगी।
- निम्नांकित श्रेणी के अभ्यर्थी को श्रैतिज प्रवृत्ति का अधिभार निम्नवत लागू होगा –

(1) क्रीड़ा से सम्बन्धित

(क) विद्यालय के माध्यम से मण्डलीय राज्यस्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लेने पर **02 अंक**

(ख) राज्य स्तरीय/ राष्ट्रीय/ राष्ट्रस्तरीय खिलाड़ी को खेल निदेशालय से प्राप्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर **05 अंक**

(ग) विद्यालय के माध्यम से अखिल भारतीय प्रतियोगिता में भाग लेने पर **10 अंक**

(2) एन.सी.सी से सम्बन्धित

(क) प्रशिक्षण एवं शिविर प्रमाण-पत्र धारकों के लिए **05 अंक**

(ख) बी प्रमाण पत्र धारक के लिए **10 अंक**

(3) स्काउट गाइड से सम्बन्धित

(क) मण्डलीय प्रमाण पत्र धारक के लिए **05 अंक**

(ख) जनपदीय रैली सहभागिता **02 अंक**

(4) नौगढ़ तहसील के अंतर्गत आने वाले विद्यालयों से इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण अभ्यर्थी **10 अंक**

विशेष –

(1) अधिभार की अधिकतम सीमा **25 अंकों** की ही होगी।

- काउसिलिंग के समय अभ्यर्थी को समस्त वांछित अभिलेखों यथा हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट के अंकपत्र एवं प्रमाण पत्र स्थानान्तरण प्रमाण पत्र, अंतिम विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र, नवीनतम जाति प्रमाण पत्र ,दिव्यांगता प्रमाण पत्र, शपथ पत्र इत्यादि की मूल प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- प्रवेश में शासन द्वारा निर्धारित आरक्षण नियमों का पालन किया जायेगा।
- अपूर्ण आवेदन पत्र पर विचार नही किया जायेगा। गलत सूचना देने अथवा किसी तथ्य को छुपाने पर या अन्य त्रुटिपूर्ण कार्यों से हुये प्रवेश को निरस्त कर दिया जायेगा।
- महाविद्यालय में प्रवेश हेतु जमा किया गया शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं किया जायेगा।
- अभ्यर्थी द्वारा शुल्क जमा करने की सूचित तिथि तक निर्धारित शुल्क न जमा करने पर उसका प्रवेशाधिकार स्वत: समाप्त हो जायेगा।
- उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय परिनियमावली 1973 की अनुसूची 8 की धारा 45, के अनुसार कार्य एवं व्यवहार असंतोषजनक होने पर की सी भी छात्र छात्रा को निष्कासित किया जा सकता है।
- प्रवेश सम्बन्धी अन्य नियमों की जानकारी प्रवेश मेरिट सूची के साथ सूचना पट्ट पर लगा दी जायेगी।
- बिना कारण बताय प्राचार्य को कोई भी प्रवेश अस्वीकार या निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।
- योग्यता अनुक्रमणीय वरीयता क्रम के आधार पर ही प्रवेश दिया जायेगा।
- यदि कोई अभ्यर्थी प्रवेश के समय समस्त वांछित मूल-प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं करता है तो उसके प्रवेश पर विचार नहीं किया जायेगा।
- स्नातक में प्रवेश हेतु योग्यता अनुक्रमणीय की संरचना : इण्टरमीडिएट परीक्षा का प्राप्तांक + अधिभार का अंक के आधार पर होगी।